

2020/00213

फर्द अहकाम

दयराज बख्तर बस्ती जिला जयपुर

न्यायालय

रिश्तेदार

बनाम

राजीव साहू

मुकदमा संख्या/वर्ष

12/2020

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11-11-21	<p>पत्रावली आज्ञा प्रसारित जावो के संगे उपस्थित जेम्स रामसर पाखावासा में प्रेश ड्रा वाडी व उत्तरीवाडी सिंगे उपस्थित जितनी पहिचान सप्लेच जस पंचपत रामसर पाखावासा में ली है तदानीस जसमी में प्रेश से प्रमाण में दिपांट ली जाये।</p>
<p>वैश्यापुत्र दीपिका</p> <p>वीतरामभीजा</p>	11-11-21	<p>वाडी व उत्तरीवाडी को वाड फ्लोर सुता जाये पत्रावली का अवलोकन एवं वाडी व उत्तरीवाडी को वाड फ्लोर सुताये एवं तदानीस ड्रा कसमी को दिपांट का अवलोकन करे को पक्कात एवं वाडी ड्रा प्रस्तुत आधारकर्त पहिचान सप्लेच के आधार पर वाडी का नाम शंकर पुत्र देवी सहाय के स्थान पर शंकर उर्फ हरीशंकर पुत्र देवी सहाय शंकर मिर्ड में दुयस्त किया जाता उचित है अतः वाड प्रस्तुत आतासी ख. नं. 267 रकबा 1.5880 स्थित जस रामसर पाखावासा तदानीस जसमी के संख. 1 में वाडी का वाड स्वीकार किया जाय वाडी व उत्तरीवाडी से 1 को 1/2, 1/2 हिस्से का खतेडा वास्तुवा घोषित किया जाय शंकर मिर्ड में वाडी का नाम शंकर पुत्र देवी सहाय के स्थान पर</p>

2020 / 00213

फर्द अहकाम


दिनांक _____

हरिद्वार

बनाम

राज ठाकर

मा संख्या / वर्ष : 12 / 2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>शेजार उत्त. हरिद्वार पुत्र देवी सहाय दुर्गत का राजस्व रिमांड में अंशक दरमद विजे जाते के तदानीबदल कमी को आदेश दिजे जाते है। अंततदानीबदल कमी को अर्थो दिजा जाते है कि उभर नद उस्त मुक्ति में उभरानुसार इरुनी का राजस्व रिमांड में अंशक दरमद करे। डिही फर्द जारी हो। निरीर व जिनी की पाबता हेतु तदीर जारी हो। फतावनी फौजदर शुजात होमा काड तदानीब नालिम सफर हो।</p> <p>आज दिनांक 11.11.21 को यह निरीर प्रशासत जाते के (रा) अतिपात के मरी राम सर पाबलानता में जाते आते में (मुआयाजा)</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर बस्ता जिला </p>	

डिक्री मुकदमा इबतदाई
(ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर, मुकाम बरसी, जिला जयपुर बड़जलारा
पीठासीन अधिकारी-शिवचरण शर्मा आर0ए0एस
प्रशासन गावों के संग अभियान 2021

वादी
हरिश्चंद्र पुत्र देवी सहाय शर्मा
भक्ति काश्तगार गिनजा रामसर
पालावाला तहसील कल्याण
बापकूर हाल गिवासी राजा
तहसील

प्रतिवादीगण
1. तहसीलदाल कल्याण
2. सुदय्य पुत्र देवी सहाय
भक्ति काश्तगार गिनजा रामसर
पालावाला तहसील

दावा

अन्तर्धारा धारा 88, 198

राजरथान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं०


यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कई रुवरु हमारे ~~ACM~~ वादी व

प्रतिवादीगण गिनजागिन मुददई रुवरु हमारे गिनजागिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है

आवती रा.नं. 267 रुका 1.5880 स्थित गान्धारी रामसर पालावाला तहसील कल्याण
के सम्बन्ध में वादी को नाउ स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 2
को 1/2 एवं 1/2 हिस्से का खेतदाल वारतवाल होकर किया जाकर राजगिनजा
में वादी को नाम शंकर पुत्र देवी सहाय के स्थान पर शंकरादेवि हरिश्चंद्र
पुत्र देवी सहाय हुदत वर राजगिनजा में उत्तम दरज किया जाने के तहसीलदाल
कल्याण को आदेश दिए जाते हैं एवं तहसीलदाल कल्याण को आदेश दिया जाता है
उक्त नउपुस्त मूक्ति में उत्तावुसा हुदतली वर राजगिनजा में उत्तम
दरज देवते।

मुकदमा मुकदमाले वादात खर्चा इस मुकदमे का गय सूद वगैरह फीसदी सालाना आज को वादी व
प्रतिवादीगण को अदा करे।

वगैरह गये वस्तुवत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/11/2021 को जारी किया गया।



दस्तखत

शिवचरण शर्मा कलक्टर बरसी जिला जयपुर

मुददई	रूपय	पस	मुददायलह	रूपय	पस
रामप अर्जी दावा			रामप अर्जी दावा		
रामप वकालतनामा			रामप वकालतनामा		
			रामप वहत सबूत		
			गहननामा वकील		
			वादी मयाकल		
			फीस कमिश्नर		
			वहत इजराय हुकमनामा		
			मूलफारिक		
			गोजान		

नोट- इस खर्च क फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का वाहे डिग्रेस के जांर दिखाया जे या नही जे
क्या नही है।

(शिवचरण शर्मा)

सहायक कलक्टर बरसी
जिला-जयपुर